राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 945वी बैठक दिनांक 11.03.2026 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 945वी बैठक दिनांक 11.03.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	8015/2020	1(a)	खण्डवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता विस्तार अनुशंसित नहीं	निरस्त
2.	9221/2022	1(a)	कटनी	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
3.	9084/2022	8(a)	खण्डवा	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	P2/1120/2025	1(c)	कटनी	सिचाई परियोजना	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
5.	P2/2251/2026	1(a)	श्योपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
6.	P2/2252/2026	1(a)	छिन्दवाड़ा	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
7.	P2/2254/2026	1(a)	शिवपुरी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
8.	P2/2253/2026	1(a)	शहडोल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
9.	P2/1055/2025	1(a)	टीकमगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
10.	3401/2015	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
11.	P2/2103/2025	1(a)	टीकमगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
12.	P2/1087/2025	1(a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 945वी बैठक दिनांक 11.03.2026 का कार्यवाही विवरण

13.	9262/2022	5(f)	इन्दौर	Bulk Drugs/Active Pharmaceutical	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
14.	P2/2076/2025	1(a)	उमरिया	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
15.	P2/2079/2025	1(a)	गुना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
16.	11020/2023	1(a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
17.	P2/2255/2026	1(a)	उज्जैन	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
18.	P2/2256/2026	1(a)	शिवपुरी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से **अन्य** बिन्दु						
1.	P2/1306/2025	1(a)	मण्डला	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति संशोधन जारी की जाये।
2.	11079/2023	1(a)	मण्डला	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति संशोधन जारी की जाये।
3.	11078/2023	1(a)	विदिशा	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति संशोधन जारी की जाये।
4.	P2/859/2025	1(a)	गुना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति संशोधन जारी की जाये।
5.	3470/2015	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण में संशोधन	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण में संशोधन जारी की जाये।
6.	P2/2243/2026	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति संशोधन जारी की जाये।
7.	P2/92/2024	1(a)	सतना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति संशोधन जारी की जाये।
8.	P2/883/2024	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति संशोधन जारी की जाये।
9.	P2/2008/2025	1(a)	आगर–मालवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति संशोधन जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 945वी बैठक दिनांक 11.03.2026 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No. SIA/MP/MIN/566175/2026, Case No. Case No. 8015/2020 Prior Environment Clearance for Stone Quarry, in an area of 3.20 ha., for production capacity of 60,420 cum per annum, at Khasra No. 56(S), Village - Rudhy, Tehsil - Khandwa, Dist. Khandwa, (MP) by Shri Ashok Etalkar, MIG-398, Ram Nagar, Dist. Khandwa, MP – 450001**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 870वी बैठक दिनांक 17.02.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ..... समिति द्वारा पाया गया कि प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता बढ़वाने हेतु फॉर्म6 में आवेदन किया गया है उत्खनि पट्टे के नवीनीकरण हेतु कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला खंडवा द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1364/खनिज/2026 दिनाँक 08-01-2026 के अनुसार उत्खनिपट्टे क्षेत्र के पश्चिम दिशा में स्थित विद्युत विद्युत टावर एवं लाइन, उत्तर में स्थित कच्चा रोड एवं सोलर प्लांट की बाउंड्री से दूरी छोड़कर पूर्व में स्वीकृत रकबा 4.0 हेक्टेयर से घटाकर 3.20 हेक्टेयर क्षेत्र पर उत्खनिपट्टे का नवीनीकरण किया गया है। अतः उत्खनिपट्टे के रकबे में पूर्व स्वीकृति से परिवर्तन होने के कारण यह प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता 17-11-2025 को बढ़वाने हेतु योग्य नहीं पाया गया है क्योंकि प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति समाप्त हो चुकी है।

अतः प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति में वैलिडिटी एक्सटेंशन की अनुशंसा नहीं की जा सकती है।."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 870वी बैठक दिनांक 17.02.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

2. **Proposal No. SIA/MP/MIN/566560/2026, Case No. 9221/2022 Prior Environment Clearance for Murum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.40 Ha. for production capacity of 19,818 cum per annum, at Khasra No. 624, Village - Banda, Tehsil - Murwara, District – Katni (M.P.) by Smt. Pushplata Tiwari W/o Shri Omprakash Tiwari R/o Mittal Enclave, Plot No. 160, District Katni (MP) regarding transfer of EC in the name of Shri Sanjay Kumar Bajaj, Partner, Shri Ram Mining Corporation, Shri Industrial Area, Bargawan Katni (M.P.)**

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 870वी बैठक दिनांक 17.01.2026 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

..... The application for EC transfer is made well within 12 months hence committee finds it fit to recommend for transfer of EC and forward SEIAA for necessary orders. It is mentioned that the cases of EC transfer applied well within one year period need not to be routed through SEAC, this may be brought to the notice of MoEF&CC for necessary correction in the Parivesh Portal..

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 870वी बैठक दिनांक 17.02.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक **Smt. Pushplata Tiwari W/o Shri Omprakash Tiwari R/o Mittal Enclave, Plot No. 160, District Katni (MP) के नाम Murum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.40 Ha. for production capacity of 19,818 cum per annum, at Khasra No. 624, Village - Banda, Tehsil - Murwara, District – Katni (MP)** की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक **Shri Sanjay Kumar Bajaj, Partner, Shri Ram Mining Corporation, Shri Industrial Area, Bargawan Katni (M.P.)** के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. **Identification No. - EC22B001MP128289** दिनांक 09.11.2022 में निहित विशिष्ट एवं साधारण **समस्त शर्ते** तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता यथावत रहेगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तो अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तो का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3. **Proposal No. SIA/MP/INFRA2/566104/2026; Case No.: 9084/2022 Amendment in Environment Clearance for Acharya Shankar Museum – Advait Lok" Revision and Amendment of Site A-1 (Museum) and Site A-2 (Parking) at Khasra No. – 2/1 Part, 7/1, Village-Mandhata, Tehsil-Punasa, District-Khandwa, Madhya Pradesh by M.P State Tourism Development Corporation Limited. Land Area - 20.902 Ha., 2,09,020 sq. mtrs (51.64 Acres)Built-up Area – 52,753 Sq.mt. by Shri Kaushal Singh Bhadauriya, Executive Engineer (Authorized Signatory), ParyatanBhawan, Bhadhbhada Road, Bhopal (M.P.)- 462003.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 870वी बैठक दिनांक 17.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. उक्त प्रकरण **M.P. State Tourism Development Corporation Limited** द्वारा **"Acharya Shankar Museum -Advait Lok"** खसरा नं.2/1 भाग, 7/1, ग्राम मंधाता, तहसील पुनासा, जिला खंडवा (म.प्र.) के लिए जारी पर्यावरण स्वीकृति में **Site A-1 (Museum)** एवं **Site A-2 (Parking)** में **Amendment** हेतु प्रस्तावित है यह प्रस्ताव श्री कौशल सिंह भदौरिया, कार्यपालन यंत्री (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता), पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल (म.प्र.)–462003 द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल भूमि क्षेत्रफल 2,09,020 वर्गमीटर है तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल 52,753 वर्गमीटर है जो 1,50,000.00 sq.mt से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति **(SEAC)** की 870वी बैठक दिनांक 17.02.2026 में "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 44 से 57 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

S.No.	Information Required	Details
1.	**Name of the Project**	Amendment in Environment Clearance for M. P. STATE TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, Acharya Shankar Museum- Advait Lok" Revision and Amendment of Site A-1 (Museum) and Site A-2 (Parking) at Khasra No. – 2/1 Part, 7/1, Village -Mandhata, Tehsil-Punasa, District-Khandwa, Madhya Pradesh by M.P State Tourism Development Corporation Limited.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

2.	**Project Proposal For**	Amendment.
3.	**Description of Project**	The project involves revision and amendment of the Acharya Shankar Museum – 'Advait Lok', including modification of Site A1 (Museum) and Site A2 (Parking). The net plot area of Sites A1 and A2 is 2,09,020 m^2 (20.90 hectares), with a proposed built-up area of 52,753 m^2. Earlier, the project was granted EC under EC Identification No. EC22B038MP123334 dated 15.04.2022 for a plot area of 1,86,600 m^2 and a built-up area of 55,100.62 m^2. To initiate site development works, the Project Proponent obtained CTE vide Consent No. CTE-56325, Outward No. 116022 dated 19.07.2022. During the subsequent stages of project development, revisions in design and planning led to modifications in the overall master plan. As a result, the built-up area and related project specifications were altered, thereby necessitating a fresh Environmental Clearance. Accordingly, the present proposal is submitted for amendment of the existing Environmental Clearance to update BUA & other associated parameters.
4.	**Project Location details.**	At Khasra No. – 2/1 Part, 7/1, Village -Mandhata, Tehsil-Punasa, District-Khandwa, Madhya Pradesh by M.P State Tourism Development Corporation Limited
5.	**Project/Activity Cost**	82698 Lakhs.
6.	**Project Area details**	Land Area - 20.902 Ha., 2,09,020 sq. mtrs (51.64 Acres). Built-up Area – 52,753 Sqmtr.
7.	**Previous EC details**	**MPSEIAA Case No.- 9084/2022** M/s Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation Limited, Shri Vijay Singh Verma, Director (Technical), Bhadbhada Road, Dist. Bhopal, MP - 462003 Prior Environment Clearance for Proposed Developemnt for Site A-1 Statue & Museum and Site A-2 Parking "Statue of Oneness" at Village - Mandhata, Tehsil - Punasa, Dist. Khandwa (M.P.)[261610]. EC recommended in 562 SEAC meeting dated 29-03-22. EC Identification No.: EC22B038MP123334. EC granted in 717 SEIAA meeting dated 08-04-22. EC issued vide letter dated 15-04-22.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

8.	**SPCB Comments CTE details (Existing Area).**	PCB ID: 149649, Consent No:CTE-56325, Outward No:116022,19/07/2022, Establish valid for 05 years up to 30-06-2027. • Location: Vill- Mandhata 2/1 Part and 7/1 Part, Tehsil – Punasa, City- Omkareshwar, District- Khandwa (M:P.) • Total Built Up Area- Total area 18.66 hectares 55,100.6 m2 (52346 m2 & 2754 m2). • DG Sets (For captive use only)- 7000 KVA (4 x 1250 KVA+ 1 x 1000 KVA). • STP- 0 KVA+ 1 x 1000 KVA) 2. STP 800 KLD (600 KLD + 200 KLD)
9.	**Height of Buildings.**	As per Earlier EC Awarded-12.0 m, Proposed Amendment-15.0m.
10.	**Revised T& CP Approval**	No./OKR2P150623858/Date/ 11/12/2023
11.	**Proposed Green Area**	62,706 m 2 (@30 % of the plot area)
12.	**Tree Cutting Permission details**	SDM (Rev) letter no. 347/Reader/2022 Punasa dated 24/03/2022.
13.	**Env. Consultant details.**	Shri Ashish Tripathi, AGS Environmental Services Pvt. Ltd., Delhi.

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 870वी बैठक दिनांक 17.02.2026 की अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 945वीं बैठक दिनांक 11.03.2026 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्न बिंदु i से viii को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक **को EIA अधिसूचना 2006 एवं** यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान **की जाती है:–**

i. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

ii. परियोजना के जलापूर्ति के लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।

iii. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) **सदस्य**	(शिव नारायण सिंह चौहान) **अध्यक्ष**

iv. परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

v. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

vi. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

vii. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

viii. प्रस्तावित भवन में संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

4. Proposal No. SIA/MP/RIV/566181/2026; Case No.: P2/1120/2025; Prior Environment Clearance for Proposed Bahoriband Lift Micro Irrigation Project has been conceived to catter irrigation water to about 46716 Ha. of CCA & 74689 ha GCA in Katni district, Madhya Pradesh by Shri Gendraj Singh, Executive Engineer, Narmada Development Division No. 3, Katni, Distt.- Katni (M.P.), Pin – 483501.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 870वी बैठक दिनांक 17.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश **पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में** निम्नानुसार निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. **उक्त प्रकरण "Bahoriband Lift Micro Irrigation Project" के अंतर्गत 74,689 हे. GCA एवं 46,716 हे. Net CCA क्षेत्र को सूक्ष्म** लिफ्ट सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना **प्रस्तावित है। इस परियोजना से कटनी जिले की** तहसील बहोरीबंद, स्लीमनाबाद, रीठी **एवं कटनी के कुल 183 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। यह प्रस्ताव श्री गेन्द्राज सिंह, कार्यपालन यंत्री, Narmada Development Division No- 3, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।**
2. **परियोजना अंतर्गत 46716 हेक्टेयर (सीसीए) क्षेत्र को सिंचाई जल उपलब्ध कराया जाना** प्रस्तावित है यह परियोजना **Major Irrigation System (≥ 10,000 ha) के अंतर्गत आती है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार परियोजना को श्रेणी–1(C) के अंतर्गत नदी घाटी/सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल है।**
3. **उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 870वी बैठक दिनांक 17.02.2026 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 58 से 73 तक अंकित है।**
4. **परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–**

SN	Information Required	Details
1.	**Project Name**	Prior Environment Clearance for Bahoriband Lift Micro Irrigation Project has been conceived to catter irrigation water to about CCA - 46,716 Ha, -GCA 74,689 Ha., in Katni District(M.P.).
2.	**ToR details.**	TOR Identification No.: TO25B0502MP5817586N. SIA/MP/RIV/525603/2025. Case No. - P2/1120/2025. ToR Recommended in 778th SEAC Meeting dt. 25/03 /2025. Online ToR issued Dated 28/08/2025.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3.	**Description of Project.**	To provide the micro lift irrigation facilities for the area GCA 74,689 Ha. and its Net CCA is 46,716 Ha. of Bahoriband micro lift irrigation project. The villages which will be benefited are 183 Nos. of Tehsil Bahoriband, Sleemanabad, Rithi& Katni District Katni. The purpose of Bahoriband Micro Lift Irrigation is increased to production of crops and irrigation area.
4.	**Benefit Villages**	The villages which will be benefited are 183 Nos. of Tehsil Bahoriband, Sleemanabad, Rithi & Katni District Katni.
5.	**Administrative Approval.**	Endt. No. F NVD/2/0003/2023-Sec-1-27 Bhopal dt.31/03/2023.
6.	**SPCB Comments/CTE details.**	PCB ID: 172188, Consent No: CTE-63161, Outward No:123905,06/10/2025, Consent to Establish up to 31/08/2030, Bahoriband Micro Lift Irrigation Scheme - 46,716 Ha.
7.	**Project Cost.**	143207 Lakhs.
8.	**CCA details.**	46,716 Ha.
9.	**Longitude/Latitude (Details Coordinate as per Rev. DPR).**	Supply Source N- 2606645.798 E- 424025.344 (ii) Delivery Point N- 2620006.768 E- 407464.159
10.	**River Name**	Bargi Right Bank canal.
11.	**Type of Irrigation**	Lift Micro Irrigation Project.
12.	**DFO details.**	Nearest Protected are is Verangana Durgavati WL Sanctuary at a distance of 21.19KM from Pipe network. (Information uploaded on Parivesh Portal).
13.	**PWD distance letter**	PWD Katni Div. letter no. 211/Tech Katni dated 16/01/2026 (CG - 220 k.m.).
14.	**Environmental Consultant details.**	Mitcon Consultancy and Engineering Services Ltd., Pune.

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति **(SEAC)** की **870**वी बैठक दिनांक **17.02.2026** की, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** की **945**वीं बैठक दिनांक **11.03.2026** में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्न बिंदु **i** से **vi** को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को **EIA** अधिसूचना **2006** एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

i. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitive area forest area से संबंधित समय –समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करे।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग की जाये ।

iii. बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में परियोजना प्रस्तावक को पंप हाउस के उचित संचालन के लिए आवश्यक सौर पैनल स्थापित करने का प्रावधान करना चाहिए।

iv. यदि संचालन अवधि के दौरान दलदली भूमि का निर्माण होता है, तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए।

v. परियोजना प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुशंसित ई–प्रवाह को हर समय संबंधित बैराजों के तत्काल नीचे की ओर बनाए रखा जाना E-flow चाहिए। E-flow को छोड़ने के बाद शेष पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

vi. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

5. Proposal No.SIA/MP/MIN/566446/2026, Case No. P2/2251/2026Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 Hectare, for production capacity 30,000 Cubic Meter/Year (Gitti- 15,000 m3, M-Sand -10,000 m3 , Boulder- 5,000 m3), at Khasra No. – 13, in Village – Sonthwa, Tehsil – Sheopur, District- Sheopur (M.P.) by Maya Kumari Khinchi, Partner, M/s Shri Kshetrapal Stone Crusher, Ward No. 12, Gandhi Nagar, Pali Road, Sheopur (M.P.) – 476337

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **870वी बैठक दिनांक 17.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर खदान क्षेत्र के पास स्थित पॉवर हाउस, नदी एवं ब्रिज परिलक्षित है जिससे माननीय एनजीटी के ओ.ए. नम्बर 304/2019 के दिशा निर्देशों अनुसार निर्धारित मापदण्ड ब्लास्टिंग हेतु 200 मीटर एवं नॉन ब्लास्टिंग हेतु 100 मीटर के आधार पर प्रकरण में ब्लास्टिंग होने के कारण पॉवर हाउस, नदी एवं ब्रिज से निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

6. **Proposal No.SIA/MP/MIN/564447/2026, Case no. P2/2252/2026Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha. for production capacity of Stone (Gitti)- 22410 cum per annum, M Sand- 14939 cum per annum & Murum- 15828 cum per annum, at Khasra No. 1145, 1148, 1150, 1151, 1155, Village- Chicholi, Tehsil- Pandhurna, District Chhindwara (M.P.) by Shri Pravin Chauhan, Owner, Santoshi Mata Ward, Tehsil- Pandhurana, District- Chhindwara (MP)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **870वी बैठक दिनांक 17.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 870वी बैठक दिनांक 17.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पाण्र्दुना द्वारा आदेश क्र. I/360963/2025 दिनांक 11.07.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.07.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

7. Proposal No. SIA/MP/MIN/560991/2025, Case No. P2/2254/2026 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.50 hectare, for production capacity of Stone (Gitti)-10,000 m3/year & M-Sand 50,000 m3/year, at Khasra No. – 1079, Village - Jargawansni, Tehsil - Narwar, District - Shivpuri (M.P.) by Shri Gajendra Sngh, R/o-Hall Nivas Flate no. 502, Virendra Vilas, Patel Nagar City Center Gwalior, (M.P.) – 474002

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **870वी बैठक दिनांक 17.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत **चर्चा व** परामर्श उपरांत SEAC की **870वी** बैठक दिनांक 17.02.2026 **की** विशिष्ट शर्तो एवं **स्टेण्डर्ड** शर्तो (संलग्नक–ए) सहित **की** गई अनुशंसा को मान्य करते **हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त** विशिष्ट शर्तो **के** साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक **दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी द्वारा आदेश क्र. 1124 दिनांक **08.09.2025** के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.09.2035 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया** अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त **खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित)** सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत **ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम **50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से** पहले कृषि भूमि से **न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

8. Proposal No. SIA/MP/MIN/560925/2025, Case No. P2/2253/2026 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 1.000 Ha., for production capacity of Boulder/Stone (Gitti) - 5,000 Cubic meter/year, at khasra No. 43/24, Village Chakaudiya Tehsil Jaitpur, District Shahdol (M.P.) by Mohammad Yahiya, S/o Shri Mohammad Yusuf, R/o- Village & Post-Jaitpur, Tehsil-Jaitpur, District- Shahdol, (M.P.) – 484669

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **871वी बैठक दिनांक 19.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में 7.5 मीटर बैरियर ज़ोन के विभिन्न भागों में रोपित किये जाने वाले प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों का विवरण भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं है। अतः बैरियर ज़ोन की कुल परिधि कितनी है का उल्लेख भी नहीं है। अतः बैरियर जोन की कुल परिधि एवं उसमें रोपित किये जाने वाले प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए।
2. EMP के बिंदु 10 (Tree Plantation) में प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों का चयन पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त एवं वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है। अतः स्थानीय / देशी प्रजातियों को प्राथमिकता देते हुए पौधों की प्रजातियों का संशोधित एवं औचित्यपूर्ण जानकरी प्रस्तुत की जाए।
3. EMP के Table 10.1 के अनुसार बैरियर ज़ोन एवं अप्रोच रोड के साथ कुल 400 पौधे लगाए जाने का उल्लेख किया गया है, किन्तु बैरियर ज़ोन एवं अप्रोच रोड़ पर किस प्रजाति के कितने–कितने पौधों का रोपण किया जायेगा के संबंध में प्लान प्रस्तुत करें।
4. पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत Revised CER (Corporate Environment Responsibility) योजना विस्तृत रूप से प्रस्तुत की जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 4 तक की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जावे, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

9. Proposal No. SIA/MP/MIN/557838/2025, Case No. P2/1055/2025Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 2.4 ha., for production capacity of Gitti- 15000 cum per annum, M-Sand-15000 cum per annum & Boulder-2000 cum per annum, at Khasra No. 1/1/ka, Village Ramnagar Tehsil- Jatara District Tikamgarh (M.P.) by Smt. Rekha Sahu, Owner, R/o- Village-Bairwar, Tegaila, Tehsil-Jatara, District-Tikamgarh, M.P

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **869वी** बैठक दिनांक **12.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 869वी बैठक दिनांक 12.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 1266-68 दिनांक 01.02.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31.01.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **चेक डेम एवं बण्ड से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

10. **Proposal No. SIA/MP/MIN/540649/2025, Case No. 3401/2015Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha. for production capacity of Gitti 5000 Cum Per Annum, M – Sand 5000 Cum Per Annum (As per SEAC recommendation), at Khasra No. – 305, Vill. - Jalalkhedi, Tehsil Ujjain, District- Ujjain (M.P.) by Shri Rajesh Anjna S/o Shri Ranachhod Singh Anjna, Village- Chandukhedi, Tehsil & District-Ujjain (MP)-456001 regarding transfer of EC in the name of Shri Sachin Mukati, Lessee, 11, Gumasta Nagar, Indore District Indore (M.P.)**

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 870वी बैठक दिनांक 17.01.2026 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

..... The application for EC transfer is made well within 12 months hence committee finds it fit to recommend for transfer of EC and forward SEIAA for necessary orders. It is mentioned that the cases of EC transfer applied well within one year period need not to be routed through SEAC, this may be brought to the notice of MoEF&CC for necessary correction in the Parivesh Portal..

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 870वी बैठक दिनांक 17.02.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक **Shri Rajesh Anjna S/o Shri Ranachhod Singh Anjna, Village- Chandukhedi, Tehsil & District-Ujjain (MP)-456001** के नाम **Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha. for production capacity of Gitti 5000 Cum Per Annum, M – Sand 5000 Cum Per Annum (As per SEAC recommendation), at Khasra No. – 305, Vill. - Jalalkhedi, Tehsil Ujjain, District-Ujjain (MP)** की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक **Shri Sachin Mukati, Lessee, 11, Gumasta Nagar, Indore District Indore (M.P.)** के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 6963-64 दिनांक 30.10.2015 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन के लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 1060-61 दिनांक 13.03.2024 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वेधता दिनांक 02.11.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

II. **नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11. Proposal No. SIA/MP/MIN/549451/2025 Case No. P2/2103/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine, in an area of 1.8 ha., For Production Capacity of 40000 cum per annum at Khasra No.1855, Village- Astaun Khas Tehsil- Tikamgarh District Tikamgarh (M.P.). by Shri Mamta Jain, lessee, R/o- Ward No-12, Pradhanpura Muhila, District-Tikamgarh(M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 871वी बैठक दिनांक 19.02.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ..... The Committee have gone through the earlier recommendation in light of the technical points presented by PP / Env. Consultant. The committee is of considered opinion to stand by earlirer recommendation made in SEAC 854th meeting dated 18.12.2025 hence case is not recommended for grant of EC in larger interest of the existing Environmental sensitivities."

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 09.03.2026 के माध्यम से पुनः अनुरोध किया गया है कि SEAC समिति द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC समिति के समक्ष पुनः स्पष्टीकरण दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC समिति परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः प्रस्तुत आवेदन के अनुसार परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त कर SEAC प्रकरण का पुनः परीक्षण कर अपने अभिमत के साथ प्राधिकरण को प्रेषित करें। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

12. Proposal No. SIA/MP/MIN/549875/2025 Case No. – P2/1087/2025 Prior Environment Clearance for Bilaua Stone Mine, in an area of 1.992 Ha., For Production Capacity of - 57,000 Cubic meter/year & Stone for Boulder - 3,000 Cubic meter/year, at Khasra No. - 3730/2/3, 3733, 3735/1, 3736, 3737, 3838, 3896, 3897/2/2, 3898, Village- Bilaua, Tehsil- Dabara, District- Gwalior (M.P.). by Shri Jai Yadav, R/o- House No. - 351, Tansen Nagar, Gird, District – Gwalior (M.P.) –474002

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 871वी बैठक दिनांक 19.02.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ..... The Committee have gone through the earlier recommendation in light of the technical points presented by PP / Env. Consultant. The committee is of considered opinion that EC is applicable only for mining part area not for non- mining part as not covered under EIA Notification 2006 provisions. Hence the committee stand by earlirer recommendation made in SEAC 854th meeting dated 18.12.2025 and case is not recommended for grant of EC."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 871वी बैठक दिनांक 19.02.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

13. **Proposal No. SIA/MP/IND3/534239/2025; Case No 9262/2022 Transfer of Environment Clearance for Manufacturing of Bulk drugs/active Pharmaceutical ingredients (Steroids/Hormones/General drugs like vitamins, antibiotics, antifungal, antiviral, antiparasitic etc.) / drug intermediates/chemicals / fine chemicals at 67 & 89, DMIC, Vikram Udyogpuri Tehsil Narwar, Distt. Indore (M.P.) - 453331. Land Area - 12.5816 Ha., Product & Capacity Bulk Drugs and Intermediates - 1260 TPA, (located within notified industrial area) by M/s. Symbiotec Lifesciences Pvt.Ltd. Add. - 385/2, Pigdamber, Rau, Indore - (M.P.) Regarding transfer of EC in the name of M/s Symbiotec Zenfold Private Limited, Add. - 385/2, Pigdamber, Rau, Indore - (M.P.) -453331**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 871वी बैठक दिनांक 19.02.2026 में उक्त प्रकरण में EC हस्तांतरण किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 871वी बैठक दिनांक 19.02.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक **M/s. Symbiotec Lifesciences Pvt.Ltd. Add. - 385/2, Pigdamber, Rau, Indore - (M.P.)** के नाम **Manufacturing of Bulk drugs/active Pharmaceutical ingredients (Steroids/Hormones/General drugs like vitamins, antibiotics, antifungal, antiviral, antiparasitic etc.) / drug intermediates/chemicals / fine chemicals at 67 & 89, DMIC, Vikram Udyogpuri Tehsil Narwar, Distt. Indore (M.P.) - 453331. Land Area - 12.5816 Ha., Product & Capacity Bulk Drugs and Intermediates - 1260 TPA, (located within notified industrial area)** की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक **M/s Symbiotec Zenfold Private Limited, Add. - 385/2, Pigdamber, Rau, Indore - (M.P.) -453331** के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. **Identification No. - EC23B000MP114162** दिनांक 10.01.2023 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तो का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/556678/2025Case No. - P2/2076/2025. Prior Environment Clearance for Pondi Stone mine, in an area 2.00 Hectare, for Production Capacity of 5,000 Cubic Meter per year, at Area, Khasra No.5/1(P), in Village – Pondi, Tehsil – Nowrozabad, District- Umaria (M.P.) by Shri Dilip Khandelwal, Ward Number 11, Nagar Palika Pali, District – Umaria (M.P.)-484551

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 871वी बैठक दिनांक 19.02.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ..... From MoM dated 26.11.2025 and MoM dated 02.12.2025 it is very much clear that there is no discrepancy in the examination and opinion of the SEAC committee arrived at decision of not recommendation due to Envirobnmental sensitivity of the site in this case. The MoM uploaded dated 26.11.25 & corrected on 02.12.25 for appendix only do reveal the clear picture in the case. There is provision of reconfirmation of previous meeting (if any) in the next meeting hence, the same practice have been adapted in this case to record in the next meeting. Every matter is very crystal clear and evident from portal Parivesh 2.0. from above screenshots reproduced here.

The committee is of considered opinion to standby earlier recommendation made in SEAC 848th dated 26.11.2025 and confirm by MoM dated 02.12.2025 uploaded on Parivesh not to recommend for grant of EC."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 871वी बैठक दिनांक 19.02.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

15. Proposal No. SIA/MP/MIN/548249/2025 Case No. – P2/2079/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area 1.00 Hectare, for production capacity of 5,206 M3/year (Stone - 3,206 M3 /year & M-Sand -2,000 M3 /year), at Khasra no. -175/5, Village-Khejda, Tehsil- Maksudangarh, Distt. - Guna (M.P.) by Shri Ramvilas Maithil, Owner, Gram Ukawad, Maksudangarh, Guna, (M.P.) 473287

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **871वी बैठक दिनांक 19.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 871वी बैठक दिनांक 19.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना द्वारा आदेश क्र. 308 दिनांक 16.04.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.04.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन **कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

16. Proposal No. SIA/MP/MIN/550584/2025, Case No. - 11020/2023 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha., For Production Capacity of-1,00,000 cum per year, at Khasra No. 4157, 4158, 4174, 4175, Village-Malipura, Tehsil-Gird, District-Gwalior (MP) by Shri Ramnivas Sharma, Proprietor, R/o E-25, New Vivekanand Colony, Thatipur, Gird, District-Gwalior (MP)-474011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **871वी बैठक दिनांक 19.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत पर्यावरण सलाहकार के शपथ पत्र में पर्यावरण सलाहकार के Original हस्ताक्षर नहीं Scan हस्ताक्षर लगाये गये हैं। अतः नवीन शपथ पत्र Orignal हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जाये।
2. प्रस्तावित खदान गूगल ईमेज एवं PM Gatishakri पोर्टल अनुसार शर्मा की खदान से ओवरलेप परिलक्षित हो रही है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा तथ्यात्मक स्थिति जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत की जावे।
3. गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान में कई पेड़/झाड़िया परिलक्षित हो रही है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत की जावे एवं यह भी बताया जावे कि खदान में कुल कितने पेड़ है व किस प्रजाति के हैं।
4. अनुमोदित खनन योजना के अनुसार Minable Mineral कितना है इसकी मात्रा बताई जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 4 तक की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जावे, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

17. Proposal No. SIA/MP/MIN/541147/2026, Case No. P2/2255/2026 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.0 ha., For Production Capacity of-10,000 m3/Year, at Khasra No. 1381/1, Village-Ujjainiya, Tehsil Ghatiya, District-Ujjain (M.P.) by Smt. Kelash Bai, Lessee, R/o-Village -Ujjania Tehsil- Ghattiya, District-Ujjain (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **871वी बैठक दिनांक 19.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 871वी बैठक दिनांक 19.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन द्वारा आदेश क्र. 2379 दिनांक 11.09.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.09.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

18. Proposal No. SIA/MP/MIN/562787/2026 Case No. – P2/2256/2026 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 3.0 hectare, for production capacity of Stone (Gitti) 30,000 m3/year, M-sand 30,000 m3/year and Boulder 2,000 cum/year, at Khasra No. - 1090, Village - Sillarpur, Tehsil - Karera, District – Shivpuri (M.P.) by Shri Balram Jatav, Lessee, R/o- ward no. 07, Near Girls Hostal Karera, District – Shivpuri (M.P.) – 473660

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **871वी बैठक दिनांक 19.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर खदान क्षेत्र के पास स्थित मानब बसाहट स्ट्रक्चर एवं पब्लिक सड़क परिलक्षित है जिससे माननीय एनजीटी के ओ.ए. नम्बर 304/2019 के दिशा निर्देशों अनुसार निर्धारित मापदण्ड ब्लास्टिंग हेतु 200 मीटर एवं नॉन ब्लास्टिंग हेतु 100 मीटर के आधार पर प्रकरण में नॉन ब्लास्टिंग होने के उपरांत भी मानब बसाहट स्ट्रक्चर एवं पब्लिक सड़क से निर्धारित दूरी 100 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु

1. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/518349/2025, Case No. P2/1306/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi Mechanized Method), in area of 1.9 hectare for production capacity of Stone 20000 cum per year & Murum 4511 cum per year, at Khasra No.- 53 in Village- Bhima, Tehsil – Bichhiya, District-Mandla (M.P.) by Shri Pratik Shrivastava, Owner, Ward No. 02, NH 12 A, Shri Ambika Complex main Road, Bhua Bichhiya, Mandla (M.P.)**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 908वी बैठक दिनांक 28.10.2025 में उक्त प्रकरण में SEAC की अनुशंसा अनुसार पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 11.11.2025 को पर्यावरणी स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 09.03.2026 के माध्यम से प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में SEAC की 865वी बैठक दिनांक 03.02.2026 में किये गये संशोधन अनुसार उत्पादन क्षमता पत्थर 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरूम 4511 घनमीटर प्रतिवर्ष किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक EC25C0108MP5742263N दिनांक 11.11.2025 में SEAC की 865वी बैठक दिनांक 03.02.2026 में किये गये संशोधन अनुसार "उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष" के स्थान पर "उत्पादन क्षमता पत्थर 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरूम 4511 घनमीटर प्रतिवर्ष" पठन किये जाने हेतु संशोधन किया जाता है पर्यावरणीय स्वीकृति की शेष समस्त शर्तें एवं वैधता यथावत रहेगी। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

2. **प्रकरण क्र. 11079/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजकुमार अग्रवाल, निवासी तिलक वार्ड, जिला– मण्डला (म.प्र.) द्वारा डालोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता डालोमाईट 48,964 टन प्रतिवर्ष रकबा 2.205 हे., खसरा कमांक 93 ग्राम भटियाटोला, तहसील– नैनपुर, जिला– मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन। –DEIAA EC Re-appraisal**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 885वी बैठक दिनांक 30.07.2025 में उक्त प्रकरण में SEAC की अनुशंसा अनुसार पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 16.09.2025 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 03.09.2025 के माध्यम से प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में SEAC की 820वी बैठक दिनांक 19.10.2025 में उल्लेख किया गया कि *"....खनन हेतु 1.13 हेक्टेयर भूमि पर खनन कार्य प्रस्तावित है उल्लेखित हो गया, के स्थान पर परियोजना प्रस्तावक ने बताया की खदान क्षेत्र के आस पास कोई भी रहवासी क्षेत्र नहीं है, बंजर नदी लगभग 310 मीटर दूर स्थित है, खदान क्षेत्र के बैरियर जोन में कुछ पेड़ दिख रहे है जो परियोजना प्रस्तावक ने बताया की उनके द्वारा लगाये गए है एवं उनका संरक्षण किया जायेगा, पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा एवं शर्तें यथावत रहेंगी ।"* **किये गये संशोधन अनुसार खनन योग्य क्षेत्र की शर्त कमांक ii को हटाने का अनुरोध किया गया है।**

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक EC25B0108MP5374022N दिनांक 11.09.2025 में SEAC की 820वी बैठक दिनांक 19.10.2025 में किये गये संशोधन अनुसार "प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र के टाईटल में खनन योग्य क्षेत्र 1.13 हेक्टेयर एवं शर्त कमांक ii को विलोपित किया जाता है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की शेष समस्त शर्तें एवं वैधता यथावत रहेगी। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

3. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/451535/2023, प्रकरण क्र. 11078/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रशांत नायक आत्मज श्री गोविंद नायक ,निवासी गंजबाशोदा, जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6,250 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.862 हेक्टेयर, खसरा 85/2, 85/3, ग्राम – लहदरा, तहसील बासोदा, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन। –DEIAA EC Re-appraisal**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 में उक्त प्रकरण में SEAC की अनुशंसा अनुसार पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 17.10.2025 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 22.11.2025 के माध्यम से प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC25B001MP162056 **दिनांक 17.10.2025 की शर्त कमांक 1 में जिला खरगौन के स्थान पर जिला विदिशा किये जाने का अनुरोध किया गया।**

अतः प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण उपरांत पाया गया कि प्रकरण में सभी दस्तावेज जिला विदिशा से संबंधित है अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC25B001MP162056 **दिनांक 17.10.2025 में अधिरोपित शर्त कमांक I में "जिला खरगौन" के स्थान पर "जिला विदिशा" पठन किये जाने हेतु संशोधन किया जाता है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की शेष समस्त शर्तें एवं वैधता यथावत रहेगी।** तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

4. **Proposal No. SIA/MP/MIN/554181/2025, Case No. – P2/859/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 Ha., for production capacity of 20,000 m³/year, at Khasra No.- 57/1, Village - Mohanpurkala, Tehsil- Guna, District- Guna (M.P.) by Shri Nishank Garg, R/o - Jaat Muhalla Guna, District- Guna, (M.P.)- 473001**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात **निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)** की 937वी बैठक दिनांक **10.02.2026 में** उक्त प्रकरण में SEAC की अनुशंसा अनुसार पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण में पत्र जारी करते समय परीक्षण के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण की उपरोक्त बैठक के कार्यवाही विवरण की शर्त कमांक 1 में पर्यावरणीय स्वीकृति की **वैधता दिनांक 17.12.2035 तक के स्थान पर दिनांक 09.04.2028** त्रुटिवश अंकित हो गई है।

अतः प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण उपरांत पाया गया कि प्रकरण में सभी दस्तावेजों के अनुसार लीज की अवधि दिनांक 17.12.2035 **तक** स्वीकृत है। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया **गया** कि उक्त प्रकरण के 937वी बैठक दिनांक 10.02.2026 के कार्यवाही विवरण की शर्त कमांक 1 में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.04.2028 के स्थान पर वैधता दिनांक **17.12.2035 तक मान्य** किये जाने हेतु संशोधन जारी किया जाता है तथा कार्यवाही विवरण अनुसार **पर्यावरणीय** स्वीकृति की शेष समस्त शर्तें एवं वैधता यथावत रहेगी।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	**अध्यक्ष**

5. **Proposal No. SIA/MP/MIN/535517/2025, Case No. 3470/2015 Prior Environment Clearance for approval of Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha., for production capacity of 20580 Cum Per Annum, at Khasra No. 889, 890, Village-Banikhedi, Tehsil-Daloda, District-Mandsaur (MP) by Shri Dinesh Patidar S/o Shri Iswar Lal Patidar, R/o Village- Elchi, Tehsil-Daloda, District-Mandsaur (MP)-458667 Regarding Transfer of EC in the name of M/s Shree Hari Infratech, Shri Pawan Kumar Patidar (Partner) R/o Tirupati Nagar, Near Shagun Garden, District Mandsaur, Madhya Pradesh**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 920वी बैठक दिनांक 15.12.2025 में उक्त प्रकरण में SEAC की अनुशंसा अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी किये जाने हेतु लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 09.01.2026 को पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 18.02.2026 के माध्यम से प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. EC25C0108MP5310067T दिनांक 09.01.2026 के टाईटल में उत्पादन क्षमता 50580 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता 20580 घनमीटर प्रतिवर्ष किये जाने का अनुरोध किया गया।

अतः प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण उपरांत पाया गया कि प्रकरण में सभी दस्तावेज एवं पूर्व में जारी पर्यावरणी स्वीकृति में उत्पादन क्षमता 20580 घनमीटर प्रतिवर्ष ही अंकित है, अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. EC25C0108MP5310067T दिनांक 09.01.2026 के टाईटल में "उत्पादन क्षमता 50580 घनमीटर प्रतिवर्ष" के स्थान पर "उत्पादन क्षमता 20580 घनमीटर प्रतिवर्ष" पठन किये जाने हेतु संशोधन किया जाता है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की शेष समस्त शर्तें एवं वैधता यथावत रहेगी। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

6. **Proposal No.: SIA/MP/INFRA2/562751/2025; Case No. P2/2243/2026 Prior Environment Clearance for Proposed "Chirayu University" By M/S Chirayu Charitable Foundation"at Khasra No. 1132/1(S) 1133 & 1139, 1132/2(S) 1133 & 1139, 1146/1/2, 1146/2/1,1146/2/2 at Village Bhauri,Tehsil–Huzur, District Bhopal, (M.P.).Total Project Area 40,000 sq ft. Built up Area 25648.83 m2., DG SET – 2400 KVA STP- 400 KLDby Shri Kshitij Shrivastava, Director Operation IT, Chirayu Charitable Foundation, Village Bhauri, Tehsil - Huzur, District - Bhopal (M.P.) – 462030**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 942वी बैठक दिनांक 02.03.2026 में उक्त प्रकरण में SEAC की अनुशंसा अनुसार पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

प्रकरण में पत्र जारी करते समय परीक्षण के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण की उपरोक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु कमांक 2 में SEAC के कार्यवाही विवरण अनुसार त्रुटिवश " प्रस्तावित परियोजना आवासीय उपयोग के अंतर्गत है। " अंकित हो गया है। जबकि उक्त प्रकरण Chirayu University निर्माण से संबंधित है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में SEIAA की 942वी बैठक दिनांक 02.03.2026 के बिन्दु कमांक 2 में अंकित " प्रस्तावित परियोजना आवासीय उपयोग के अंतर्गत है।" को विलोपित किया जाता है तथा कार्यवाही विवरण अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की शेष समस्त शर्तें रहेगी।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

7. **प्रकरण क्र. P–2/92/2024** परियोजना प्रस्तावक श्री **आशीष** बागरी, आत्मज श्री सुशील कुमार, **ग्राम जाखी पो. सितपुरा** अमदाई, जिला सतना **(म0प्र0)** द्वारा पत्थर, बोल्डर एवं एम–सेण्ड **खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम–सैण्ड 14000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं बोल्डर 14000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.618 हे0, खसरा क्रमांक 19/2/5, 19/2/6 ग्राम झाली, तहसील मझगवां, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 8558वी बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में SEAC की अनुशंसा अनुसार पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 25.06.2024 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 24.03.2025 के माध्यम से प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में SEAC की 766वी बैठक दिनांक 08.06.2024 में किये गये संशोधन अनुसार उत्पादन क्षमता उत्पादन क्षमता पत्थर 4500 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम–सैण्ड 5250 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं बोल्डर 5250 घनमीटर प्रतिवर्ष **के स्थान पर** पत्थर 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम.सेण्ड 14000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं बोल्डर 14000 घनमीटर प्रतिवर्ष **किये जाने का अनुरोध किया गया है।**

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक EC24C0108MP5560372N दिनांक 25.06.2024 में SEAC की 766वी बैठक दिनांक 08.06.2024 में किये गये संशोधन अनुसार "उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष" के स्थान पर "उत्पादन क्षमता पत्थर 4500 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम–सैण्ड 5250 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं बोल्डर 5250 घनमीटर प्रतिवर्ष" के स्थान पर "उत्पादन क्षमता पत्थर 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम.सेण्ड 14000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं बोल्डर 14000 घनमीटर प्रतिवर्ष पठन किये जाने हेतु संशोधन किया जाता है पर्यावरणीय स्वीकृति की शेष समस्त शर्तें एवं वैधता यथावत रहेगी। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

8. **Proposal No.: SIA/MP/INFRA2/468508/2024; Case No P2/883/2024: Prior Environment Clearance for Proposed Project "Sage Corporate Office (Sage Tower)" Construction of Commercial Complex by M/S Sage Enterprises & Sage Associates which is to be developed at Plot No. 51A/7 & 51A/8, Vidhya Nagar, Phase-2, Hoshangabad Road, Teh.- Huzur, District – Bhopal (M.P.). Built-up Area- 29359.66 Sq. mt. by Shri Sanjeev Agrawal, Partner, "Sage Associates" 250, Sagar Plaza, G-2, M.P. Nagar- Bhopal, Distt. - Bhopal (M. P.), Pin- 462011**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 941वी बैठक दिनांक 24.02.2026 में उक्त प्रकरण में SEAC की अनुशंसा अनुसार पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

प्रकरण में पत्र जारी करते समय परीक्षण के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण की उपरोक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु कमांक 4 की टेबल के बिन्दु 1 में SEAC के कार्यवाही विवरण अनुसार "Shri Sanjeev Agrawal, Partner, Proposed "Sage Milestone" (Residential Apartment) Address Sagar Plaza – 250, G-2, M.P. Nagar- Bhopal, Distt. - Bhopal (M. P.)., Pin- 462011" **अंकित हो गया है, जबकि उक्त प्रकरण Sage Corporate Office (Sage Tower) निर्माण से संबंधित है।**

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में SEIAA की 941वी बैठक दिनांक 24.02.2026 के बिन्दु कमांक 2 4 की टेबल के बिन्दु 1 में अंकित " "Shri Sanjeev Agrawal, Partner, Proposed "Sage Milestone" (Residential Apartment) Address Sagar Plaza – 250, G-2, M.P. Nagar- Bhopal, Distt. - Bhopal (M. P.)., Pin- 462011" **को विलोपित किया जाता है तथा कार्यवाही विवरण अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की शेष समस्त शर्तें रहेगी।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

9. **Proposal No. SIA/MP/MIN/548603/2025, Case No. P2/2008/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 3.60 ha., For Producation Capacity of Gitti 12000 m3/year & M-sand 18,000 m3/year, at Khasra No. 2677 & 2681, Village - Semalkhedi, Tehsil- Nalkheda, District-Agar Malwa (M.P.) by Smt. Sunanda Sharma, R/o- M. No. 122, ward no. 05, Hanuman Mandi Nalkheda, Tehsil-Nalkheda, District-Agar Malwa, (M.P.)**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 942वी बैठक दिनांक 02. 03.2026 में उक्त प्रकरण में SEAC की अनुशंसा अनुसार पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 06.03.2026 के माध्यम से "अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्खनन पट्टे क्षेत्र में पक्की सड़क से 100 मीटर की दूरी के बाद एवं 200 मीटर की दूरी के पहले वाले क्षेत्र (अर्थात पक्के रोड से 100 मीटर एवम 200 मीटर के बीच का क्षेत्र) में खनन कार्य ब्लास्टींग रहित प्रक्रिया से रोक ब्रेकर के माध्यम से किया जाएगा एवं पक्के रोड से 200 मीटर की दूरी के बाद वाले क्षेत्र में खनन कार्य नियंत्रित ब्लास्टिंग द्वारा किया जाएगा" का अनुरोध किया गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक के आवेदन अनुसार प्रकरण में SEIAA की 942वी बैठक दिनांक 02. 03.2026 की शर्त कमांक 3 *"परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क एवं पुलिया स्ट्रक्चर से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।"* **के स्थान पर** *"परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार पक्की सड़क एवं पुलिया स्ट्रक्चर से 100 मीटर तक गैर खनन छोड़ते हुए 100 से 200 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र में खनन कार्य नॉन ब्लास्टिंग (रोक ब्रेकर के माध्यम) द्वारा किया जायेगा तथा 200 मीटर के बाद खनन कार्य नियंत्रित ब्लास्टिंग द्वारा किया जाएगा"* **पठन किये जाने हेतु संशोधन जारी किया जाता है तथा** कार्यवाही विवरण अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की **शेष समस्त शर्तें एवं वैधता यथावत** रहेगी।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें (भवन निर्माण के प्रकरणों हेतु)

परिशिष्ट –1

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–

   a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

   b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

   c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

2. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।

4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।

5. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.

7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.

8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network

9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.
10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.
11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.
12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.
13. **For firefighting:-**
    a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required .2016fire fighting arrangement shoud be made avilable onthe project site as per NBC
    b. The occupancy permit shall be issued by MunicipalCorporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.
    c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises
14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.
15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.
16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping
17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.
18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.
19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.
20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.
21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, GoI notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.
23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - http://www.environmentclearance.nic.in/ or http://www.efclearance.nic.in/ and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also

25. The Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report. Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, GoI at Bhopal and MPPCB.

26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.

28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.

29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.

30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.

31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal.

33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें (नदी घाटी/सिंचाई परियोजना के अंतर्गत)

परिशिष्ट–2

i. A grievances redress mechanism should be devised by WRD GoMP and put in place so that aggrieved PAFs and other stakeholders may approach the Authority easily for resolution of any dispute/conflict.

ii. PP shall ensure that, land required for the proposed project is acquired and possession is taken only after payment of compensation to the land holders as per the provision of the Right to fair compensation and transparency in land acquisition Act amended from time to time.

iii. A monitoring Committee for R & R shall be constituted which shall include representatives of project affected persons including representative from Sc/ST.

iv. No additional land shall be used/acquired for any activity of the project without obtaining proper permission.

v. PP to take utmost precaution for health and safety of the people working in the project as also for protecting the environment.

vi. In the event of the failure of any pollution control system adopted by the project proponent, the project shall be immediately put out of operation and shall not be restarted until the desired efficiency has been achieve.

vii. A detailed scheme for rainwater harvesting shall be prepared and implemented to recharge ground water.

viii. To enhance the natural environmental quality & aesthetics of project site, plantation, as proposed in the EMP Report shall be undertaken in the proposed area. Allocated grant for this purpose shall be fully utilized separately and not to be diverted for any other purpose.

ix. Occurrence of stagnant pools/slow moving water channels during construction and operation of the project may provide breeding source for vector mosquitoes and other parasites. The river should be properly channelized so that no small pools and puddles are allowed to be formed. Even after taking precaution, due to unforeseen situations, breeding of mosquito and resultant malaria or mosquito borne diseases can increase. If such a situation arises, it will be the responsibility of project authorities to take all steps i.e. residual insecticidal spray in all the project area and surrounding 3 km. Area keeping the flight range of mosquitoes in

consideration. Also medical assistance to be provided to the affected people at the cost of the developer and appropriate health benefits may be initiated with the help of State Health Department.it is recommended that contractors should enforce standards, recommended by Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

x. Regular monitoring of water quality (Surface and Ground) including heavy metals shall be undertaken in the project area and around the project area to ascertain the change, if any, in the water quality due to leaching of contaminants, if any, from the increased use of chemical fertilizers and pesticides.

xi. PP should ensure the pumps and pump house building are designed in such a way that outside noise levels will not exceed the CPCB standards.

xii. As alternate source of power PP should ensure to install required solar panels to proper running of Pump house.

xiii. The budgetary provisions for implementation of EMP, shall be fully utilized and not to be diverted to any other purpose. In case of revision of the project cost or due to price level change, the cost of EMP shall also update proportionately.

xiv. If marshy land create during operation period the adequate measure should be taken by PP.

xv. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM issued vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 25 February 2021, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility and Environmental Management Plan.

xvi. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F. No. 22-65/2017-IA.III dated lst May 2018 regarding Corporate Environment Responsibility. The activities under CER shall be worked out as per the para no. (V) of the aforesaid OM and shall be restricted to the affected area around the project. The entire activities under CER shall be treated as project and shall be monitored. The monitoring report shall be submitted to the regional office as a part of half-yearly compliance report and to a District Collector.

xvii. PP needs to comply the OM dated 24.07.2024 of MoEFCC, where it is stated that the plantation of saplings shall be carried out in the earmarked 33% greenbelt area as part of the tree plantation campaign " EK Ped Ma ke

Naam" (and the details of the same shall be uploaded in the MeriLife portal (https://merilife.nic.in).

xviii. The validity of the Environmental Clearance (EC) extends up to 13 years to the start of production operations or the commissioning of the project. The EC's validity becomes perpetual if production operations commence on or before the specified date. Should the Project Proponent fail to initiate production operations within the EC validity period, an application for an extension must be submitted to the regulatory authority, in accordance with Para 9.0 of the EIA Notification, 2006, as amended.